मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च, 2012 (चैत्र 10, 1934)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

(1) श्री निरंजन वर्मा, पूर्व सदस्य विधान सभा,
(2) श्रीयुत श्रीवल्लभ शर्मा, पूर्व सदस्य विधान सभा, तथा
(3) श्री भगवान सिंह चौहान, पूर्व सदस्य विधान सभा

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगें तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री, नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (क्रमांक 1 सन् 1996) की धारा 65 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री –

(क) महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 43 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 (दिनांक 1 जुलाई, 2010 से 30 जून, 2011 तक), तथा

(ख) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का दिनांक 30 जून, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, भिण्ड नगर के गल्ला मण्डी निवासी युवक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शांतिलाल धबाई , सदस्य, देवास से बदनावर मार्ग की चौड़ाई कम होने से दुर्घटनाएं होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले में सहायक संचालक मत्स्य द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, बीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसारी के उप सरपंच का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, रीवा जिले के भटवा-महुली मार्ग पर स्थित नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री रामगरीब कोल,रामलखन सिंह , सदस्य, रीवा जिले के ग्राम राजाबांध में एक बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री गिरिजाशंकर शर्मा, पारस दादा, राधेश्याम पाटीदार, सदस्य, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य मानक अधिनियम का विरोध होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, बड़वाह क्षेत्र में कृषकों से विद्युत बिल की अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री ध्रुवनारायण सिंह , सदस्य, भोपाल के घोड़ा नक्कास से मंगलवारा तक क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार न किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य, जबलपुर में एक बालिका के साथ बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य, सागर जिले के खुरई क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री बलीसिंह मरावी, सदस्य, रीवा जिले के जवा में फायरिंग से कई व्यक्ति घायल होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

(13) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की मांगों का निराकरण न होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री अजय सिंह, रामनिवास रावत, आरिफ अकील, सदस्य, बैतूल के हमलापुर क्षेत्र में एक महिला की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री यादवेन्द्र सिंह , सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम अस्तौनखास में क्रेशर मशीन लगाने की अनुमति दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी जिले के वन परिक्षेत्र सरई में वनों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य, मुरैना में कार्यपालन यंत्री के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री राधेलाल बघेल, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में रेत की अवैध निकासी होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम शिवलालपुरा में जहरीली शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री कमल पटेल, सदस्य, हरदा जिले के ग्राम डेड गांव में सरपंच के घर डकैती होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, बड़वाह तहसील के उप मण्डी बेडिया में विक्रय हेतु स्थान की कमी होने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के रौन पुलिस द्वारा लोगों पर झूठे प्रकरण दर्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा डी. एड. की अंकसूची रोके जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री अंतर सिंह आर्य, सदस्य, भोपाल के रिवेरा टाऊन के मकानों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग होने की ओर आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री पांचीलाल मेड़ा, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहू उपार्जन हेतु पंजीयन कार्य में त्रुटि होने की ओर राज्य मंत्री खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री पारस दादा, सदस्य, मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भारी फीस की वसूली किये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य, मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में पंजीयन नवीनीकरण में वरिष्ठता प्रभावित होने की ओर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री तुलसीराम सिलावट, सदस्य, प्रदेश में आम उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों की अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) सर्वश्री रामलखन सिंह पटेल, आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, उमरिया में पत्रकार की परिवार सहित हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवंटित राशि का दुरूपयोग होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री अजय सिंह, सदस्य, बैतूल जिले में रायसेड़ा में सड़क निर्माण हेतु अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मंडला जिले के नगर पंचायत निवास अंतर्गत रोजगार मूलक कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरूषोत्तम दांगी , सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में वनो की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य, धार जिले के माण्डव में आदिवासी वार्डो के विद्युत कनेक्शन काटे जाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य, देवास जिले के मेहतवाड़ा स्थित सेल मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी द्वारा अवैध रूप से नदी का पानी रोके जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले में ओला, पालें से फसल नष्ट होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आई.टी.आई. से कम्प्यूटर डिप्लोमा को मान्य न किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले में गेहू खरीदी केन्द्र बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य, शुजालपुर जिले के अरनियाकला के कृषकों की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर एवं शिवपुरी सीमा पर अपर ककेटो बांध के डूब प्रभावित ग्रामों की बसाहट न किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, प्रदेश के कृषकों से विद्युत पंप कनेक्शन पर के.पी. सीटर के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम भादलीखेड़ा स्थित तालाब से पानी का रिसाव होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर , सदस्य, मुरैना जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में विलंब होने की ओर राज्य मंत्री ऊर्जा का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में नर्मदा पाईप लाईन पर अतिक्रमण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री रामनिवास रावत , सदस्य, मुरैना जिले के अटार घाट पर पेंटून पुल न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्रीमती मीरा दीपक यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी में स्थित दुकानों में आग लगने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(48) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम झीतरखेड़ी में एक परिवार पर हमला होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, जबलपुर जिले में पुष्प एवं मसाला योजना खरीदी में अनियमितता होने की ओर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के बकोरी एवं पांजरा स्थित गौण खनिज का अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री आरिफ अकील , सदस्य, परिवहन विभाग द्वारा सिक्यूरिटी नम्बर प्लेट के बनाने के ठेके में अनियमितता होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री राकेश शुक्ला, सदस्य, बाणसागर परियोजना के प्रभारी अधीक्षण यंत्री द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(54) श्री जुगुल किशोर, सदस्य, सतना जिले के रघुराज नगर तहसील अंतर्गत कृषि भूमि को सीमेंट फैक्ट्री को दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(55) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खंडवा जिले के पुनासा सिंचाई परियोजना के चतुर्थ चरण के विस्तार से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के-

(क) ग्राम पंचायत दिगोड़ा से नादिया तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम पंचायत बिहारीपुरा से उत्तरीकारी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम सेराई से बेदौरा व्हाया धामना वेदऊ तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) ग्राम पंचायत वर्माडांग में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाने,
(ङ) ग्राम तलावनी से मजस्य तिलेगा तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(च) ग्राम सिया से सोरका तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(छ) ग्राम भजस से कोयली तक सड़क निर्माण कराये जाने, तथा
(ज) कछियाखेरा से छोवलामाता तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मोती कश्यप, सदस्य, कटनी जिले के-

(क) ग्राम बसाड़ी में आदिवासी कन्या छात्रावास खोले जाने,
(ख) ग्राम मझगवां में आदिवासी छात्रावास खोले जाने,
(ग) ग्राम मजिया में आदिवासी बालक तथा कन्या छात्रावास खोले जाने,
(घ) ग्राम सैलापुरा में आदिवासी बालक-बालिका छात्रावास खोले जाने, तथा
(ङ) ग्राम उमरिया पान में आदिवासी/अनुसूचित जाति छात्रावास खोले जाने,

(3) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य, शाजापुर जिले के-
(क) ग्राम अवन्तिपुर, बड़ोदिया के बीच पुल निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम हड़लायकला, बोलदा, पंचदेहरिया, अर्निया कला मार्ग निर्माण कराये जाने, तथा
(ग) ग्राम पाड़लिया, बोलदा सड़क मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने,

(4) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य, अनूपपुर जिले के-
(क) ग्राम अमदारी के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ख) ग्राम पड़मनिया के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,

(5) श्री रामलखन सिंह, सदस्य, सतना जिले के-
(क) ग्राम बरहा के माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,
(ख) तहसील मुख्यालय रामपुर बघेलान में पॉलीटेक्निक कॉलेज खोले जाने, तथा
(ग) रामपुर बघेलान के रविदास मंदिर का जीर्णोद्धार कराये जाने,

(6) श्री ताराचंद बावरिया, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के-
(क) ग्राम भाजीपानी के हाई स्कूल का उन्नयन कराये जाने,
(ख) ग्राम धमनिया की माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने, तथा
(ग) भोपाल शहर के न्यू 228 क्वार्टर सरस्वती नगर के शासकीय आवासों की मरम्मत कराये जाने,

(7) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट जिले के-
(क) वारासिवनी –गर्रा के बीच थानेगांव नाले पर पुल निर्माण कराये जाने,
(ख) ग्राम डोंगरमाली से छोटी तक सड़क निर्माण कराये जाने,
(ग) ग्राम पागपुर घाट-बारावासिनी सड़क निर्माण कराये जाने,
(घ) तहसील खैरलांजी में महाविद्यालय खोले जाने, तथा
(ङ) बारासिवनी में स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(8) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य, भोपाल शहर के शासकीय आवास क्र.-एच-97ए/15 से एच-97ए/24 के आवासों की मरम्मत कराये जाने ,

(9) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, भोपाल शहर के गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित कालोनी एम्रॉल्ड पार्क सिटी के सी. टाईप आवासों का कार्य पूर्ण कराये जाने, एवं

(10) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम कामती जमाड़ा एवं गर्धा खेरी में विद्युत मंडल को एच. बी. डी. एस. योजना में शामिल किये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(5) श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष वेतन तथा भत्ता विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में ठंड एवं पाले से फसलें बर्बाद होने की ओर सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, यादवेन्द्र सिंह, पारस दादा तथा डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

9. अशासकीय संकल्प

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि भिण्ड से लहार, जालौन, उरई महोबा रेल लाईन स्वीकृत की जाये.''

(2) सर्वश्री ध्रुवनारायण सिंह,विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. '' सदन का यह मत है कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर विभिन्न धर्मों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक अत्यधिक कड़ा कानून शीघ्र बनाना चाहिए. ''

(3) श्री संजय पाठक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. ''यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ट्रेन संख्या 12160 सुपर एक्सप्रेस जो जबलपुर से नागपुर तथा ट्रेन संख्या 12159 जो नागपुर से जबलपुर चलती है, को कटनी से चलाया जाय.''

(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

20 मि. ''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि अजमेर कलकत्ता-अजमेर, अजमेर-बांद्रा-अजमेर, अजमेर-हैदराबाद-अजमेर इन ट्रेनों का स्टापेज जावरा किया जाय.''

(5) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी), सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. ''सदन का यह मत है कि भटियारा पिछड़ा वर्ग में आने वाली जाति के अन्तर्गत उप जाति नेमा, गुप्ता, बानिया, नायक को भी शामिल किया जाय.''

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 29 मार्च, 2012